भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 160

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट कंपनियों का स्वैच्छिक समापन

160. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः
श्रीमती चिंता अनुराधाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान स्वैच्छिक रूप से समाप्त होने नाली कारपोरेट कंपनियों की संख्या कितनी है;
(ख) वर्तमान में किसी कारपोरेट कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त होने में कितना समय लगता है;
(ग) क्या यह तंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष है; और
(घ) वर्तमान में देश में स्वैच्छिक कारपोरेट समापन के कितने मामले लंबित हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क), (ख) और (घ) : कंपनियों का स्वैच्छिक समापन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) और दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 59 के तहत कवर किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत, एक कंपनी जो कंपनी रजिस्टर से अपना नाम हटाना चाहती है, उसे कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास आवेदन करना अपेक्षित है। आवेदन पर, आरओसी समाचार पत्रों के विज्ञापनों और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के माध्यम से सार्वजनिक आपत्तियां मांगता है। आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त होने पर, आरओसी आवेदन की जांच करता है और अनुमोदित करता है, यदि उसे सही पाया जाता

है, इसके बाद इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और प्रकाशन की तारीख से, कंपनी का नाम हटा दिया जाता है।

आईबीसी, 2016 की धारा 59 के अनुपालन में, जो कंपनियां स्वेच्छा से स्वयं के समापन का इरादा रखती हैं और जिन्होंने कोई चूक नहीं की है, वे स्वैच्छिक परिसमापन की कार्यवाही शुरू कर सकती हैं। सदस्यों के विशेष संकल्प को पारित करने के बाद और ऋण के मूल्य का 2/3 हिस्सा, यदि कोई हो, रखने वाले लेनदारों की सहमति के बाद, एक परिसमापक नियुक्त किया जाता है। परिसमापक, परिसंपत्तियों की वसूली और लेनदारों और शेयरधारकों को आय के वितरण के लिए सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात्, अंतिम रिपोर्ट निर्णायक प्राधिकरण, अर्थात् राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) को प्रस्तुत करता है।

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2023-24 (30 नवंबर, 2023 तक) तक 1,06,561 कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत स्वेच्छा से समाप्त हो गई हैं। वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2023-24 (30 सितंबर 2023 तक) तक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) की धारा 59 के तहत परिसमापकों द्वारा 1168 कंपनियों की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें से उक्त अवधि के दौरान 633 मामलों में एनसीएलटी द्वारा अंतिम विघटन आदेश पारित किए गए हैं।

विगत 5 वर्षों में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत स्वैच्छिक समापन के लिए लिया गया समय कुछ मामलों में लगभग 6-8 महीने से लेकर 12-18 महीने के औसत के बीच रहा है। आईबीसी के तहत, परिसमापक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कंपनियों के विघटन में लगने वाला औसत समय 7-9 महीने की रेंज में रहा है। परिसमापक द्वारा एनसीएलटी में अधिनिर्णय के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लिया गया औसत समय लगभग 14 महीने का रहा है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनियों के स्वैच्छिक रूप से समापन के लिए 01.05.2023 को त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीएसीई) की स्थापना की है। सीपेस के तहत चालू वर्ष के दौरान स्वैच्छिक समापन के लिए लिया गया समय लगभग 110 दिन है।

आईबीसी की धारा 59 के तहत सितंबर 2023 तक स्वैच्छिक परिसमापन के लिए वर्तमान में 470 मामले लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत स्वैच्छिक कारपोरेट समापन के लिए वर्तमान में 3695 मामले सीपेस के पास लंबित हैं।

(ग) शोधन अक्षमता विधि सुधार समिति की रिपोर्ट, जो संहिता के अधिनियमन की अग्रदूत थी, ने संहिता के ढांचे की सिफारिश करते समय दिवाला पर यूएनसीआईटीआरएएल विधायी मार्गदर्शिका में प्रदान किए गए सामूहिक दिवाला समाधान व्यवस्था के सुस्थापित सिद्धांतों पर विचार किया था।

****